

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सुभाष

पतराम

दावा बाबत :- 88RTAET

मुकदमा नम्बर :- 30/2021

निर्णय दिनांक :- 10-12-2021

वादी की ओर से वकील मुजीराम जोरखानी की व प्रतिवादी सं० 1/175 की ओर से वकील सरजो. सिंघानिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोज मुन्डडियाकडा के खाता सं० 75/72 के खसरा सं० 246 की 5-286 है वारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० पतराम के नाम व रोही मुन्डडियाकडा के खाता सं० 26/2 69/48 के खसरा सं० 26/2 की 2-7230 है वारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० पतराम के नाम से रापस्व रिकार्ड में दर्ज है व प्रतिवादी सं० पतराम का नाम कलमजुन किया जाकर वादी सुभाष व प्रतिवादी सं० 2 रामनिवास को बरिस्ता बराबर के खातेदार का बतकार घोषित किए जाते हैं मुक्ति प्रतिवादी सं० उता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पास में ल्याज कर मुन्ड कर लिया है इसलिए ल्याज किए गए हिस्से पर पंजीयन विभाग को फर्म पंजीयन मुल्य अदा करने व यदि कृषि भूमि क्षेत्र के रूख हो तो रद्वमुल्य होने के इतरान्त ही रापस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये रापनामा का डिफ्री का ल्याज पंजी जाये

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

